राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16/2020 गोपाल / गोपाल	

18/9/20

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. संख्या 3 लगायत 8 प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये | दिनांक 30/07/2019 की आदेशिका अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 तथा 3 लगायत 7 की डिलीवरी रिपोर्ट पेश होना एवं अप्रार्थी संख्या 1 तथा 3 लगायत 7 बावजूद तामिल हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी तारीख पेशी 01/08/2019 नियत की गयी | तत्पश्चात दिनांक 01/08/2019 को शेष अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट पेश होने का अंकन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी | जिसके पश्चात दिनांक 19/08/2019 को प्रार्थी की एकपक्षीय बहस समायत की जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद प्रतिबंधित फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 /अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र दफा- 5 कानून मियाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस समायत की गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध डाक विभाग की ऑनलाईन डिलीवरी रिपोर्ट की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया की मुख्य रूप से यही निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत उक्त डिलीवरी रिपोर्ट का अवलोकन किये बगैर गलत रूप से अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी | जबकि उक्त डिलीवरी रिपोर्टो के अवलोकन मात्र से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था की अपीलार्थीगण को जारी नोटिस डिलीवर नही हुये | ऐसे में अपीलार्थी को विचाराधीन प्रार्थना पत्र की जानकारी होना संभव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/2020	गोपाल / गोपाल	

ही नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की तामिल गलत रूप से मानते हुये अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर गलत रूप से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण कर दिया है जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी तामिल के सन्दर्भ में यदि अपीलार्थी को आपत्ति है तो प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गयी डाक विभाग की ऑनलाईन डिलीवरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त ऑनलाईन डिलीवर रिपोर्टो में रजिस्टर्ड एडी सम्बंधित पक्षकार को प्राप्त हो गयी है का कतई अंकन नही है ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अप्रार्थीगण जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है की जो उक्त डिलीवरी रिपोर्ट के आधार पर जो तामिल होना माना जाकर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है एवं उक्त एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात जो एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह न्यायसंगत एवं विधि अनुरूप प्रतीत नही होता है एवं चूँकि जब अपीलार्थी को विचाराधीन प्रकरण के सन्दर्भ में नोटिस विधिवत तामिल ही नही हुये है ऐसी परिस्थिति में उन्हें विचाराधीन प्रकरण की जानकारी होना सम्भव ही नही था। ऐसे में प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद में अंकित तथ्य उचित प्रतीत होने से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/08/2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/2020	गोपाल / गोपाल	

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर